<u>न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-2, राजगढ जिला चूरू</u>

पीठासीन अधिकारी सागर माथुर, आर.जे.एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

अपील फौजदारी संख्या 05/2018
CNR No.- RJCH060000972018

सुरेश कुमार पुत्र रामसिंह जाट निवासी बास मामराज तहसील राजगढ जिला चूरू
-अपीलार्थी

वि रु द्ध

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, राजगढ
- प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.01.2018
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ द्वारा
मूल आपराधिक प्रकरण संख्या 443/2010(533/2014)
सरकार बनाम सुरेश कुमार में पारित।

उपस्थिति-
1- श्री अशोक सिंह, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी
2- श्री तेजपाल पूनियां, अपर लोक अभियोजक वास्ते प्रत्यर्थी

- निर्णय - दिनांक- 27.07.2026

1- अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से, विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ द्वारा पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 06.01.2018 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। दण्डादेश निम्नानुसार पारित किया गया है-

अपीलांट को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध के परिणामस्वरूप तीन वर्ष का साधारण कारावास तथा 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है व अदम अदायगी अर्थदण्ड 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश पारित किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा अपील दिनांक 08.02.2018 को न्याायलय में पेश की गयी है।

2- संक्षेप में अपील से संबंधित मूल प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनाक 01.11.09 को वक्त 3:00 पीएम पर वह, महेंद्रदत शर्मा एसएचओ, छगनलाल एफसी, राजवीर सिंह एफसी, ललित कुमार एफसी, महेंद्र सिंह एफसी, सुशील एफसी जीप सरकारी ड्राइवर लालचंद वास्ते गश्त थाना से रवाना होकर गस्त मौजा चांदगोठी थिरपाली बड़ी करते हुए मौजा नूहंद पहुंचे तो वक्त 3:30 पीएम पर जरिये मुखवीर सूचना मिली कि सुरेश कुमार पुत्र रामसिंह जाट निवासी बास मामराज के

घर पर रात्रि को हरियाणा निर्मित शराब की छिपाई हुई है तथा अब सुरेश कुमार उक्त शराब को आगे करने की फिराक में है। चूंकि मकान सुरेश कुमार की तलाशी हेतु सर्च वारंट की आवश्यकता है, परंतु वारंट हासिल करने में समय लगता तक तक माल को खुर्द-बुर्द किया जा सकता था। इतिला विश्वसनीय मानकर मौका की कार्यवाही हेतु मौजा नूहंद में एक दुकान के सामने बैठे श्री देवेंद्र सिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत उम्र 25 साल निवासी नूहंद व श्री चंद्रपाल पुत्र दूलीचंद जाट उम्र 23 साल निवासी नूहंद को मुखबीर से प्राप्त सूचना से अवगत करवाया जाकर एवं कारण बिना वारंट खाना तलाशी अतर्गत धारा 47 आब० अधि० अलग से तैयार कर मौजा नूहंद से रवाना होकर वक्त 4 पीएम पर खेत में बनी ढाणी सुरेश कुमार मौजा मामराज का बास पहुंचे तो मकान के आंगन में एक व्यक्ति बैठा मिला जिससे नाम पूछा तो अपना नाम सुरेश कुमार पुत्र दुलीचंद जाट उम्र 24 साल निवासी बास मामराज बताया तथा हमराही जाब्ता द्वारा दक्षिण बारना के कमरा, जिसके ताला लगा हुआ था, को खुलवाया तो कमरा में शराब के कार्टून भरे हुए मिले जिन्हें चैक किया तो कुल 30 कार्टूनों में सौंफी शराब देशी के पव्वे प्रत्येक कार्टून में 50 पव्वे तथा प्रत्येक पव्वा पर हिन्दी व अंग्रेजी में "सौंफी मसालेदार देशी शराब फोर सेल इन हरियाणा ओनली" का लेबल है तथा कुल 30 कार्टूनों में किन्नू देशी शराब के पव्वें प्रत्येक कार्टून में 50 पव्वे थे जिसके बाबत् मुलजिम के पास कोई लाइसेंस व परमिट नहीं था। मुलजिम सुरेश कुमार का यह कृत्य धारा 19/54 राज०आब०अधि० की परिधि में आने पर सभी कार्टूनों को कब्जा पुलिस में लिया जाकर मौके पर सील मोहर की संपूर्ण कार्यवाही की गई तथा मुलजिम सुरेश कुमार को हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया..... आदि आदि।

3- इस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 246/2009 पुलिस थाना हमीरवास अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे दर्ज कर तफ्तीश शुरू हुई, बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त सुरेश कुमार के विरूद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय मे पेश किया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान नक्शा मौका, हालात मौका तैयार किये गये, नमूना वजह सबूत को मालखाना में जमा करवाया गया, गवाहान के बयान लिये, नमूना जांच हेतु भिजवाया गया, अभियुक्त को गिरफतार किया, नियमित अनुसन्धान के बाद अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया गया।

4- अपीलार्थी/अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5- आरोप सिद्धि हेतु दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी०डब्लू० 1 देवेन्द्र, पी०डब्लू० 2 चंद्रपाल, पी०डब्लू० 3 राजवीर, पी०डब्लू० 4 ललित कुमार, पी० डब्लू० 5 छगनलाल, पी० डब्लू० 6 जगदेव सिंह, पी० डब्लू० 7 सुशील

कुमार, पी० डब्लू० 8 जयवीर सिंह, पी० डब्लू० 9 रामजीलाल, पी० डब्लू० 10 महेंद्रदत को परीक्षित करवाया गया व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 से प्रदर्श पी 17 तक दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

6- अपीलार्थी/अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किये गये। जिनमें अभियुक्त ने अभियोजन की साक्ष्य को गलत होना बताया गया व साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य सफाई बंद की गयी।

7- विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष की बहस सुनकर आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश पारित करते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त सुरेश कुमार को अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्धि में सजा के बिंदू पर सुनने के पश्चात धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में तीन वर्ष का साधारण कारावास तथा 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है व अदम अदायगी अर्थदण्ड 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश पारित किये जाने पर उक्त निर्णय व दंडादेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त ने यह अपील प्रस्तुत की है।

8- अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील ज्ञापन के संक्षिप्त तथ्यानुसार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित सभी गवाहान सरकारी गवाहान है, जिन्होनें अपने कथनों में विरोधाभासी साक्ष्य दी है तथा किसी व्यक्ति को स्वतंत्र गवाहान नहीं बनाया गया है तथा शराब बरामदगीस्थल अभियुक्त/अपीलांट के कब्जे का ही हो, इस बाबत भी कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गयी है, बरामदगी कार्यवाही में काम में ली गयी नमूना सील का अलग से फर्द नमूना सील मेमो तैयार कर मालखाना में जमा नहीं करवाया गया है तथा बरामदगी के संबंध में प्राप्त पूर्व सूचना को लेखबद्ध कर धारा 47 राज0 आबकारी अधिनियम के प्रावधानों की कोई पालना नहीं की गयी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों की ओर विचारण न्यायालय ने गौर नहीं किया गया है। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर अपीलार्थी को दोषमुक्त करने व विकल्प में परीविक्षा दिये जाने का निवेदन किया है।

9- अपील के संबंध में बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से बहस में भी अपील ज्ञापन के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध पारित विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा इसका सख्त विरोध किया गया और विचारण न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होना बताकर निर्णय व दण्डादेश की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

10- उभयपक्ष के तर्कों, तथ्यों पर मनन किया गया तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली व उसमें आई साक्ष्य का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

प्रकरण वर्णित अवधार्य बिन्दू यह है कि-

''क्या दिनांक 01.11.2009 को समय 4.00 पी.एम. पर या उसके लगभग जरिये मुखबीर सूचना मिलने पर एसएचओ महेन्द्रदत शर्मा के गश्ती दल ने अभियुक्त के मकान से 1500 पव्वे देशी सौंफी शराब तथा 1500 पव्वे किन्नू देशी अवैध शराब सेल फॉर इन हरियाणा ओनली अभियुक्त के सचेतन आधिपत्य से बरामद किये। जिन्हें अपने सचेतन आधिपत्य में रखने का अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र या परमिट नहीं था? यदि हां तो अभियुक्त को उचित सजा क्या होगी?''

11- उक्त अवधार्य बिन्दू के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तोवजी साक्ष्य का **ध्यानपूर्वक परिशीलन** करने से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित मुख्य गवाह जब्तीकर्ता तथा अनुसंधान अधिकारी महेन्द्रदत ने पी0ड0 10 के रूप में परीक्षित होकर सशपथ कथन किया है कि पी०ड0-10 महेंद्रदत शर्मा का यह बयान है कि दिनाक 01.11.09 को वह थानाधिकारी हमीरवास के पद पर तैनात था। उस राज 3 पीएम पर वह मय स्टाफ के गश्त हेतु थाना से रवाना हुए। गश्त करते हुए 3:30 पीएम पर नूहंद पहुंचा तो जरिये मुखवीर इतला मिली कि सुरेश कुमार के घर पर रात्रि को हरियाणा निर्मित शराब सप्लाई हुई है जिसे वह अभी आगे सप्लाई करने की फिराक में है। तलाशी लेने पर भारी मात्रा में हरियाणा निर्मित अवैध शराब मिल सकती है। इतला विश्वसनीय होने पर मौके की कार्यवाही हेतु नूहंद से देवेंद्र सिंह व चंद्रपाल को मुखवीर की इतिला से अवगत करवाकर कार्यवाही हेतु साथ रहने हेतु मौखिक सहमति प्राप्त कर वारंट 47 तैयार कर नूहंद से रवाना होकर 4 पीएम पर ढाणी सुरेश कुमार पहुंचे तो आंगन में एक व्यक्ति बैठा मिला जिसने अपना नाम सुरेश कुमार बताया। जिसे मुखवीर की इत्तला से अवगत करवाया व तलाशी के लिए कार्यवाही हेतु सुरेश कुमार के मकान में दक्षिण बारणा में कमरे में ताला लगा हुआ था जिसकी चाबी सुरेश कुमार के पास थी। सुरेश ने स्वयं ने ताला खोला तो कमरा में शराब के कार्टून भरे हुए मिले जिन्हें चैक किया तो 30 कार्टून सौंफी देशी शराब प्रत्येक में 50-50 पब्बे कुल 1500 पव्वे तथा अन्य 30 कार्टूनो में देशी नीबू शराब के देशी पव्वे थे। प्रत्येक में 50-50 पव्वे कुल 1500 पव्वे हरियाणा निर्मित शराब के मिले, जिसके बारे में सुरेश के पास कोई लाइसेंस नहीं था। इसलिए उक्त अवैध शराब को कब्जा पुलिस में लेकर पूर्व से मामूर मौतबीरान देवेंद्र व चंद्रपाल के समक्ष कार्टूनों को खोलकर चैक किया गया व उनके समक्ष कार्यवाही की गयी। इसलिए शराब को कब्जा पुलिस लिया जाकर प्रत्येक ब्राण्ड में से एक-एक सैंपल अलग निकालकर सील मोहर किया व शेष शराब को मौके पर सील मोहर कर क्रमशः ए1 से ए30 व बी1 से बी30 अंकित किय थे। मौके पर फर्द जब्ती प्रदर्शपी-1 तैयार की गई जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच, आई से जे गवाहान के, के से एल सुरेश व एम से एन उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर तीन जगह

नमूना सील अंकित है, ओ से पी कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन है। एफआईआर प्रदर्शपी-1 के आधार पर एफआइआर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। फर्द खाना तलाशी धारा 47 राज०आब० अधि० प्रदर्श पी 2 तैयार की गयी, जिस पर के से एल उसके हस्ताक्षर है। नक्शामौका प्रदर्शपी 11 हे व हालातमौका प्रदर्शपी 11ए है। अग्रेषण पत्र जारी करवाकर वजह सबूत जमा करवाया गया जिसकी प्राप्ति रसीद प्रदर्शपी 7 है। अग्रेषण पत्र की कार्बन प्रति प्रदर्शपी 6 है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्शपी 5 है। सरपंच से सुरेश कुमार की शकुमतः तस्दीक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया जो प्रदर्शपी 12 है। सुरेश कुमार के पिता का नाम रामसिंह होने की रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जो प्रदर्शपी 13 है। थाना से रवानगी व आमद की रोजनामचा की प्रमाणित नकल शामिल पत्रावली की गयी जो प्रदर्शपी 14ए व 15ए है। एफएसएल से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर माननीय न्यायालय में पेश की जो प्रदर्शपी 16 है। न्यायालय द्वारा वजह सबूत निस्तारण के आदेश प्रदर्शपी 17 है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सुरेश के कब्जा से मौका पर हुई बरामदगी के आधार पर उसने उक्त मुलजिम के खिलाफ जुर्म अत्तर्गत धारा 19/54 राज०आब०अधि० में प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण का जब्तशुदा नमूना सैंपल मार्क ए आर्टिकल 1 व मार्क बी आर्टिकल 2 है, जिन पर चिट दस्तखती चिपकी हुई है। मौके पर जब्तीकर्ता पी0ड0 10 महेन्द्रदत द्वारा की गयी कार्यवाही को उसके साथ जाब्ते में मौजूद साक्षीगण पी0ड0 3 राजवीर, पी0ड0 4 ललित, पी0ड0 5 छगनलाल, पी0ड0 7 सुशील ने न्यायालय के समक्ष की है।

12- मालखाने के गवाह के तौर पर पी0ड0 9 रामजीलाल ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशपथ कथन किया है कि दिनांक 01.11.09 को वह पीएस हमीरवास में मालखाना इंचार्ज के पद पर पदस्थापित था। उस रोज महेंद्रदत एसएचओ ने उसे मुकदमा का सैंपल दो पव्वा सील्ड शराब मार्क ए व बी तथा 30 कार्टून देशी शराब, 30 कार्टून देशी शराब के सील्डशुदा मालखाना में जमा करवाये थे। जो उसने मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 313 दिनांक 01.11.09 पर जमा कर सील्ड हालत में मालखाना में रखा था। उसके बाद दिनांक 06.11.09 को वह पीएल अवकाश लेकर रवाना हो गया तथा मालखाना का चार्ज जगदेव सिंह को दिया गया। जिस पर पी0ड0 6 जगदेव सिंह मालखाना इंचार्ज के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ, जिसने सशपथ कथन किया है कि 25.1109 को वह पीएस हमीरवास में एफसी के पद पर व मालखाना इंचार्ज के पद पर था। उस रोज उसने इस मुकदमें का का नमूना सैंपल सील्डशुदा मार्क ए तथा बी जयवीर सिंह एफसी को अग्रेषण पत्र जारी करवाने व एफएसएल जोधपुर में जमा करवाने हेतु सुपुर्द किया। जिस पर दिनांक 27.11.2009 को जयवीर एफसी द्वारा नमूना सैंपल एफएसएल में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद उसे सुपुर्द की। जिसका इंद्राज उसने मालखाना रजिस्टर में किया था। मालखाना रजिस्टर की मूल प्रति प्रदर्श पी 7 है। मुकदमा का वजह

सबूत जब तक उसके पास रहा, सील्ड व सुरक्षित हालत में रहा। उक्त गवाह जगदेव सिंह के बयानों की ताईद न्यायालय में वाहक के तौर पर गवाह पी0ड0 8 जयवीर सिंह ने करते हुए कथन किया है कि उसके द्वारा इस मुकदमें में जब्तशुदा वजह सबूत दिनांक 25.11.2009 को अग्रेषण पत्र जारी करवाने व सैंपल एफएसएल जोधपुर में जमा करवाने हेतु दिया गया, जिन्हें उसके द्वारा एसपी कार्यालय चूरू से उसी रोज अग्रेषण पत्र जारी करवाकर दिनांक 26.11.2009 को एफएसएल जोधपुर पहुचंकर सील्डशुदा हालत में जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर पुलिस थाना पहुचंकर मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द कर दी थी। अग्रेषण पत्र की कार्बन प्रति प्रदर्श पी 6 तथा एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 7 है। जब तक उसके पास वजह सबूत रहा, सुरक्षित व सील्ड हालत में रहा।

13- अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये उपरोक्त समस्त गवाहान की न्यायालय के समक्ष दी गयी साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर प्रदर्शित करवाये गये उपरोक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 01.11.09 को एक मकान से बरामदशुदा वजह सबूत सैंपल मार्क ए, बी में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 से एथिल एल्कॉहोल होना पूर्णतया साबित है, परंतु अभियोजन पक्ष उपरोक्त साक्ष्य के अनुक्रम में यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त जब्तशुदा 30 कार्टूनों में सौंफी शराब देशी के पव्वे प्रत्येक कार्टून में 50 पव्वे तथा प्रत्येक पव्वा पर हिन्दी व अंग्रेजी में "सौंफी मसालेदार देशी शराब फोर सेल इन हरियाणा ओनली" का लेबल है तथा कुल 30 कार्टूनों में किन्नू देशी शराब के पव्वें प्रत्येक कार्टून में 50 पव्वे अभियुक्त सुरेश के सचेतन आधिपत्य से बरामद की हो, क्योंकि गांव बास मामराज में स्थित जिस मकान के कमरों के आगे से अभियोजन पक्ष ने उक्त जब्तशुदा आर्टिकल्स बरामद करना बताया है, वह मकान अभियुक्त सुरेश के कब्जे व आधिपत्य में था, इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। स्वयं जब्तीकर्ता साक्षी पी0ड0 10 महेंद्रदत को जब इस संबंध में जिरह में प्रश्न पूछा गया तो उसने यह कथन किया है कि सुरेश के मकान के मालिकाना हक बाबत् कोई दस्तावेज उसने नहीं देखा। मौके पर की गयी कार्यवाही के दौरान उसने गावं के किसी पंच, सरपंच को मौके पर तलब नहीं किया। बरामदगीस्थल मकान के मालिकाना हक के बारे में भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसकी न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में इस संबंध में कोई भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि उनके द्वारा दौराने अनुसंधान बरामदगीस्थल के मालिकाना अथवा कब्जे के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य जुटाया गया हो, ना ही अनुसंधान के दौरान बरामदगीस्थल की तस्दीक किसी तहसीलदार, पटवारी या अन्य किसी योग्य साक्षी द्वारा करवायी गयी हो। प्रकरण के जब्तीकर्ता पी0ड0 10 महेन्द्रदत ने अपने मुख्य परीक्षण में यह अवश्य बताया कि उसे जरिये मुखबीर यह सूचना मिली थी, जिसके अनुसरण में प्रकरण से संबंधित बरामदगी की

कार्यवाही अभियुक्त के मकान से संपन्न की गयी। इस प्रकार बिना किसी ठोस साक्ष्य के कि बरामदशुदा स्थल अभियुक्त सुरेश के ही आधिपत्य अथवा कब्जे में हो, यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि उक्त बरामदगीस्थल से जब्त की गयी अवैध शराब अभियुक्त सुरेश के सचेतन व कब्जे से बरामद हो।

14- यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को संदेह से परे साबित करना होता है एवं यदि बचाव पक्ष मामले में कोई संदेह उत्पन्न करने में सफल होता है तो ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष के मामले को संदेह से परे साबित होना नहीं कहा जा सकता।

15- विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में बरामदगीस्थल के अभियुक्त सुरेश के आधिपत्य अथवा कब्जेशुदा होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवेचन नहीं किया जाकर निर्णय दिनांकित 06.01.2018 पारित किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि बचाव पक्ष अभियोजन के मामले पर युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करने में सफल रहा है, इसलिए अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं कहा जा सकता।

16- परिणामस्वरूप अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अपीलार्थी के संबंध में पारित दोषसिद्धी का निर्णय एवं दण्डादेश अपास्त किया जाकर उसे धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- आदेश -

17- अतः अपीलार्थी सुरेश कुमार पुत्र रामसिंह जाट निवासी बास मामराज तहसील राजगढ जिला चूरू द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम विरूद्ध राजस्थान राज्य स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 06.01.2018 को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी/अभियुक्त सुरेश को आरोप धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अपीलार्थी/अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। साथ ही अपीलार्थी/अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437(क) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 10-10 हजार रूपये के जमानत मुचलके प्रस्तुत कर तस्दीक करवाये। इस निर्णय की प्रतिलिपि के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली नियमानुसार प्रेषित की जावे।

(सागर माथुर)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम-2 राजगढ जिला चूरू

18- निर्णय आज दिनांक 27.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सागर माथुर)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम-2 राजगढ जिला चूरू